



Neutral Citation No. - 2026:AHC:162161

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7858/2026

कुंवरपाल

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : आलोक कुमार सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- पुलिस रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान जमानत आवेदन के लंबित होने के संबंध में नोटिस प्रथम सूचनाकर्ता/विपक्षी संख्या 2 को तामील कराया गया है। नोटिस की तामील के बावजूद विपक्षी संख्या 2 की ओर से वर्तमान जमानत आवेदन का विरोध करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

3- वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 151 वर्ष 2026, धारा 64(2)(m), 89, 351(2), 351(3), 61(2) बी.एन.एस. तथा धारा 5L/6 पाँक्सो अधिनियम, थाना सिंभावली, जनपद हापुड़ में उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना दिनांक 06.11.2025 से 02.06.2026 के मध्य घटित हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 15 दिन बाद दिनांक 17.06.2026 को दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्तमान आवेदक सहित कुल 6 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है। बलात्कार का मुख्य आरोप अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सह-अभियुक्त दुष्यंत के विरुद्ध लगाया गया है। जहां तक आवेदक की भूमिका का संबंध है, केवल यह आरोप है कि आवेदक एवं अन्य व्यक्तियों ने पीड़िता को गर्भावस्था समाप्त कराने की सलाह दी थी। आवेदक द्वारा चिकित्सीय व्यय वहन करने की बात कही गई थी। जब पीड़िता का कथन धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज किया गया, तब उसने आवेदक का नाम नहीं लिया। आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित हो, उपस्थित होने का वचन देता है। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

5- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यों के पहलू पर विवाद नहीं किया। आगे प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त दुष्यंत ने क्रिमिनल मिस्लेनियस एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यू/एस 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 7208 वर्ष 2026 प्रस्तुत करके इस न्यायालय का रुख किया था, जिसका निस्तारण दिनांक 22.07.2026 के आदेश द्वारा आवेदक को जमानत के लिए आवेदन करने के निर्देश के साथ किया गया।

6- मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

7- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य, (2020) 5 SCC 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को भयभीत करना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से बचकर निकलने, जैसे कि देश छोड़ने, आदि की संभावना पर विचार करना होता है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारणीय बिंदुओं द्वारा निर्देशित होना चाहिए। जमानत प्रदान करना अथवा न करना न्यायालय के विवेक का विषय है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8- सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है, जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा अपराध जघन्य हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की आशंका हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व तथा उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित प्रक्रिया के रूप में की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान को अकल्पनीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन का अनुपालन नहीं करेगा और वास्तव में उसने पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

9- बलात्कार के कथित अपराध के संबंध में आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक के विरुद्ध केवल यह कहा गया है कि वह गर्भपात के चिकित्सीय व्यय को वहन करेगा। आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्त दुष्यंत के प्रकरण से भिन्न है, जिसके विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाया गया है। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज किए गए अपने कथन में पीड़िता ने आवेदक का नाम नहीं लिया है। अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियां, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

10- तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकृत** किया जाता है:-

(i)- उपर्युक्त प्रकरण में संलिप्त आवेदक-**कुंवरपाल** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे;

(ii)- आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना संचालित करने के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



(iii)- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; और

(iv)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।

11- उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने अथवा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

4 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला